ग्राम न्यायालय इटवा, तहसील इटवा, सिद्धार्थनगर।

<u>प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या–76/2026</u>

समा प्रवीन.....बनाम.....मकसूद

धारा –12 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम

थाना–इटवा, **जनपद–** सिद्धार्थनगर।

<u>दिनांक–18.07.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। वादिनी की ओर से प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि हम फरीकैन के बीच अन्य मुकदमें में आपसी सहमति के आधार पर सुलह हो गया है, अब कोई निजा शेष नहीं रह गयी है, इसलिए वाद उपरोक्त पर अब बल नहीं देना चाहती है। न्यायहित में उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बल न दिए जाने के आधार पर मुकदमा निस्तारित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

विपक्षीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र पर कोई आपत्ति नहीं जताई गयी है।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। सम्यक अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वादिनी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समझौते से संधि हो चुकी है। सुलह समझौते के आधार पर अब मुकदमा लडना नहीं चाहती है। चूंकि उभयपक्ष के मध्य उक्त विवादित विषय के संबंध में कोई विवाद शेष नहीं रह गया है। वादिनी अपना वाद लड़ना नहीं चाहती है। अतः न्यायहित में वाद वापस लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादिनी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादिनी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। आवेदिका/परिवादिनी को प्रस्तुत प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या–76/2026 समा प्रवीन बनाम मकसूद आदि नियमानुसार प्रत्याहरित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादिनी पुनः उसी वाद हेतुक पर वाद लाने से प्रवारित रहेगी। तद्नुपरांत पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

(सौम्या द्विवेदी)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय इटवा,
सिद्धार्थनगर ।
J.O.Code UP 3353

Digitally signed by SAUMYA DWIVEDI
Date: 2026.07.18 12:26:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court